

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 571(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सचिव का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) “सचिव” से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

3. सचिव का वेतनमान - सचिव 18,400-500-22,400 रूपए के वेतनमान में मासिक वेतन का हकदार होगा।

4. सेवा-शर्तें - (1) वेतन, भत्तों, छुट्टी पदभार ग्रहण का समय, सेवा में सम्मिलित होने के समय वेतन, अधिवर्षिता की आयु के विषय में सचिव की सेवा की शर्तें और अन्य सेवा की शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो समय-समय पर समूह ‘क’ के केन्द्रीय सरकार के और तत्समान वेतनमान लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं :

परंतु -

(क) ऐसा सचिव जो बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी है और जिसे साधारण पूल के अधीन आवास आवंटित किया गया है, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय के कार्यालय झापन संख्या 11013/डी/7/94-पोल. IV/I तारीख 26.4.1999 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के निबंधनों के अनुसार सरकारी आवास की सुविधा धारित करते रहने का पात्र होगा ; और यदि सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है या उसने नहीं लिया है तो केन्द्रीय सरकार के समान वेतन पाने वाले सेवक के बराबर मकान किराया भत्ता का पात्र होगा। सेवा सचिव जो सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त नहीं है, उतने मकान किराया भत्ते का हकदार होगा जितना समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के सेवक को मिलता है।

(ख) सचिव अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा।

(ग) (i) यदि सचिव सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नहीं है तो वह अमिदायी भविष्यनिधि में अंशदान करने का हकदार होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के लिए बनाए गए अमिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा विनियमित होगा ;

परंतु ऐसा सचिव पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा ;

(ii) यदि सचिव प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तो वह उस भविष्य निधि स्कीम द्वारा शासित होता रहेगा जो उसके मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन में उसे लागू होती है और बोर्ड अधिकारी से भविष्य निधि में अमिदायी वसूल करेगा और उसे उधार देने वाले मंत्रालय/विभाग/संगठन को तत्काल प्रतिप्रेषित करेगा। विलंब से किए गए प्रतिप्रेषण के कारण ब्याज की किसी हानि को बोर्ड वहन करेगा।

(घ) सचिव, जब वह सरकारी विदेशी दौरे पर हो, अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट भत्तों का हकदार होगा।

(उ) यदि सचिव प्रतिनियुक्ति पर नहीं है तो यह उपदाल अधिनियम, 1976 के अनुसार उपदान संदाय के लिए पात्र होगा।

(च) यदि सचिव प्रतिनियुक्ति पर नहीं है तो यह बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विरचित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा फायदे का हकदार होगा।

(छ) केन्द्रीय सरकार से शिथिल संगठन से प्रतिनियुक्ति पर सचिव उच्च पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों के लिए, यदि कोई हो, पात्र होगा जो उसके मूल संगठन में उसे प्राप्त होते :

परंतु यदि सचिव प्रतिनियुक्ति पर है तो वह पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।

अनुसूची - 1

[नियम 4(ख) देखिए]

चिकित्सा सुविधाएं

1. बाह्य द्वार चिकित्सा व्यय - (i) सचिव स्वयं के लिए और परिवार के चोखित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए "परिवार" पद का वही अर्थ है जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में उसका है।

(ii) बाह्य द्वार चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्ययों या उस वर्ष की 1 जनवरी को एक मास के वेतन तक (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) इनमें से जो भी कम हो, सीमित होगी। दावे के समर्थन में और डॉक्टर द्वारा उपचार के लिए डॉक्टर का नुस्खा और मूल कैसनेमो/बिल तथा दवाईयों के क्रय का सबूत होना चाहिए। वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि या प्रोन्नति की घोषणा से वर्ष की पहली जनवरी को सीमा प्रभावित नहीं होगी। यदि सचिव वर्ष के दौरान बोर्ड में पदभार ग्रहण करता है तो वार्षिक हकदारी अनुपातिक आधार पर निर्बंधित होगी।

(iii) बाह्य द्वार उपचार बोर्ड द्वारा बनाए गए पैनल से प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से लेना होगा।

2. अंतरंग उपचार -

(i) अंतरंग उपचार के प्रयोजन के लिए सचिव बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए हकदार होगा और इस प्रयोजन के लिए उपचार की लागत जिसके अंतर्गत अस्पताल आवास, नर्सिंग होगी सुविधा आदि भी है, समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(ii) उपरोक्त (i) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वे होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

(iii) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार आपात की स्थिति को छोड़कर प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर लिया जाएगा।

अनुसूची 2

[नियम 4(घ) देखिए]

विदेशी दौरों की बाबत यात्रा भत्ता

1. विदेश में सचिव की प्रतिनियुक्ति - सचिव की विदेश में प्रतिनियुक्ति का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

2. वायुयान द्वारा यात्रा के लिए हकदारी - सचिव विदेश में वायुयान द्वारा यात्रा करने का हकदार होगा और उसे समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त होंगी।

3. प्रति दिन रुकने का भत्ता - जब विदेशी दौरे पर हो तब सचिव प्रतिदिन 350 अमरीकन डालर की दर पर प्रतिदिन का भत्ता लेने का हकदार होगा किन्तु नेपाल की यात्रा के लिए दर प्रतिदिन 250 अमरीकन डालर की दर पर होगा (जो भारतीय करेंसी में संदाय किया जाएगा) :

परतु -

(क) प्रस्तावित प्रतिदिन का भत्ता वास्तविक व्यय की सीमा तक एक समेकित रकम होगी जो ऐसी बाउचरों को पेश करने पर संदत्त किया जाएगा जिनमें कमरे का किराया, टैक्सी प्रभार, मनोरंजन यदि कोई हो, सरकारी टेलीफोन कॉल, समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समक-समक पर उपलब्ध दर पर दैनिक भत्ते और अन्य आकस्मिक व्यय दर्शित किए गए हों।

(ख) यदि मेजबान संगठन या सरकारी अधिकार्यों या भारतीय मिशनों द्वारा पूरा आतिथ्य (अर्थात् आवास और भोजन) प्रदान किया जाता है तो आनुषंगिक व्यय रूकने की पूरी अवधि के लिए 100 अमरीकन डालर प्रतिदिन के हिसाब से होंगे। नेपाल की दशा में आनुषंगिक व्यय 50 अमरीकन डालर प्रतिदिन के हिसाब से होंगे। ऐसी दशा में आर्थिक कटौती, यदि कोई है, जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू है, वधास्थिति, 100 अमरीकन डालर या 50 अमरीकन डालर की दर पर लागू होगी।

(ग) यदि निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो सामान्य दर पर प्रतिदिन के 50% की दर पर नकद भत्ता लागू होगा।

(घ) सात क्रमवर्ती दिनों से परे ठहरने की दशा में आठ से अट्ठाइसवें दिन के लिए प्रतिदिन भत्ता 250 अमरीकन डालर होगा और अट्ठाइस दिन से परे ठहरने के लिए प्रतिदिन भत्ते की दर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामलों के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

(ङ) यदि भोजन और परिवहन व्यवस्थाएं विदेश में संबद्ध भारतीय मिशन के माध्यम से की जाती हैं तो समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समक-समक पर उपलब्ध दर से केवल दैनिक भत्ता और अन्य आकस्मिक व्यय अनुज्ञेय होंगे।

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 10 read with clause (c) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Secretary) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** --- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(d) "Secretary" means the Secretary of the Board;

(e) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Pay scale of secretary.— The secretary shall be entitled to a monthly salary in the pay scale of Rs.18,400-500-22,400.

4. Conditions of service.— (1) The conditions of service of the secretary in the matter of pay, allowances, leave, joining time, joining time pay, age of superannuation and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A' and drawing the corresponding scale of pay:

Provided that —

(a) the secretary who is a Government employee on deputation to the Board and has been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation in terms of Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate of Estates, OM No. 11013/D/7/94-Pol. IV/I, dated 26.4.1999, and as amended from time to time; and in case Government residential accommodation has not been allotted or availed, he shall be eligible for House Rent Allowance at par with Central Government servant drawing equivalent pay. The secretary who is not appointed on deputation from the Government shall be entitled to House Rent Allowance at par with those applicable to Central Government servant drawing equivalent pay.

(b) the secretary shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule-I.

(c) (i) in case the secretary is not on deputation from the Government, he shall be entitled to subscribe to Contributory Provident Fund and shall be regulated by the Contributory Provident Fund Rules made by the Central Government for the Board :

Provided that such secretary shall not be entitled to get pension;

- (ii) in case the secretary is appointed on deputation, he shall continue to be governed by Provident Fund Scheme as is applicable to him in his parent Ministry/Department/organisation and the Board shall recover contribution towards provident fund from the officer and remit the amount immediately to the lending Ministry/Department/organisation. Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Board.
- (d) the secretary while on official foreign tours, shall be entitled to allowances as specified in Schedule-II.
- (e) in case the secretary is not on deputation, he shall be eligible for payment of gratuity as per the Gratuity Act, 1976.
- (f) in case the secretary is not on deputation, he shall be entitled to Group Insurance benefit as per the scheme to be formulated by the Board in consultation with the Central Government.
- (g) the secretary on deputation from organization other than the Central Government shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to him in his parent organisation:

Provided that in case the secretary is not on deputation, he shall not be eligible for pension.

Schedule - I

[See rule 4(b)]

MEDICAL FACILITIES

- 1 Outdoor Medical expenses- (i) The Secretary shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation - For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

- (ii) The reimbursement of outdoor medical expenses shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less. The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos/bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines. Release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January of the year. In case secretary joins the Board during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

- (iii) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Board.

2 Indoor treatment-

- (i) For the purpose of indoor treatment the secretary shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Board in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.
- (ii) The authorised hospitals for the purpose of (i) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rule 1944.
- (iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical attendants except in emergency.

Schedule - II
[See rule 4(d)]

Traveling Allowance in respect of foreign tours

- (1) Deputation of secretary abroad.- Deputation of the secretary abroad shall be decided by the Chairperson.
- (2) Entitlement for travel by Air.- The secretary shall be entitled to travel abroad by Air at par with facilities available from time to time to Central Government employees drawing equivalent pay.
- (3) Per diem halting allowance.- While on foreign tour, the secretary shall be entitled to draw per diem allowances at the rate of US \$ 350 per day. But, for travel to Nepal, the rate shall be US \$ 250 per day (to be paid in Indian currency).

Provided that -

- (a) the proposed per diem would be a consolidated amount limited to actual subject to production of vouchers covering room rent, taxi charges, entertainment if any, official telephone calls, daily allowance at the rate available from time to time to Central Government employees drawing equivalent pay and other contingent expenditure.

(b) If full hospitality (i.e. lodging and boarding) is provided by the host organization or official agencies, Indian Missions, the incidental expenses would be US \$ 100 per-diem for the entire period of stay. In case of Nepal, the same would be US \$ 50 per diem. In such a case, economy cut if any, as applicable to the Central Government officers shall also apply at the rate of US \$ 100 or US \$ 50, as the case may be.

(c) in case only free lodging is provided, cash allowance at the rate of 50% of the per-diem at normal rate would be applicable.

(d) in case of stay beyond seven consecutive days, the per diem from the 8th to 28th days shall be US \$ 250 and the rate of per diem for stay beyond twenty eight days consecutively shall be decided on case to case basis keeping in view the facilities provided.

(e) in case the lodging and transport arrangements are made through the concerned Indian Mission abroad, only daily allowance at the rate available from time to time to Central Government employees drawing equivalent pay and other contingent expenditure shall be admissible.

[F. No. P-23011/1/06-Mkt.]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.